कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 351/2025

# प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 30.09.2025

**डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़** के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 30.09.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस नोट दिनांक: 30.09.2025
जनपद आजमगढ़

🔷सड़क पर चढ़ा शुरूर तो जेल जाओगे जरूर🔷

➡️ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के नेतृत्व में नशेबाजों पर की गई बड़ी कार्यवाही-

➡️ आपरेशन सड़क पर सुरूर अभियान के तहत जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा नशेबाजों के विरुद्ध की जा रही है कार्यवाही-

➡️ सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वाले कुल 38 व्यक्तियों को जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर नियमानुसार धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

➡️ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने दिए खुलेआम नशेबाजी करने वालों पर कार्यवाही के निर्देश-

🔷जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों/शराब का सेवन करनें वालों पर कारवाई के निर्देश-

🔷"आपरेशन सड़क पर सुरूर" चलाकर पुलिस उतारेगी नशेबाजों के नशा का शुरूर

🔷कार्यवाही के साथ ही मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति किया जा रहा जागरूक

🔷कानून व्यवस्था को मजबूत रखने एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ ही मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है मकसद

🔷नशे के कारण परिवार को बिखरने से बचाना व युवा पीढ़ी को इस ज़हर से दूर रखना आजमगढ़ पुलिस का उद्देश्य-

👉शासन की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति फेज 5 के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक (नगर/ग्रामीण) एवं समस्त क्षेत्राधिकारी के निकट पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में आजमगढ़ पुलिस द्वारा "आपरेशन सड़क पर सुरूर" अभियान शुरू किया गया है। जिसके तहत जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों/शराब का सेवन करनें तथा अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के तहत जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष को "आपरेशन सड़क पर सुरूर" अभियान लगातार चलाकर शराबी, नशेड़ी एवं अन्य प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन करने वाले अभ्यस्त व्यक्तियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं ऐसे संदिग्ध स्थलों (हाट स्पॉट) का चिन्हीकरण करते हुए प्रभावी/विधिक कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु सख्त निर्देश दिये गये हैं।

🔷आजमगढ़ पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रहीं बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में विधिवत जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है।

➡“आपरेशन सड़क पर सुरूर” अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जा रहा है।

प्रेस विज्ञप्ति

☞ **वरिष्ठ** पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा जनपद के विभिन्न पण्डालो का भ्रमण व थाना मुबारकपुर व जहानागंज का औचक निरीक्षण-

➡आज दिनांक 30.09.2025 को प्रचलित नवरात्रि त्यौहार/मिशन शक्ति 5.0 अभियान के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा विभिन्न दुर्गा पण्डालों का भ्रमण कर सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये तथा थाना मुबाकपुर व जहानागंज का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, अभिलेखों के रख-रखाव, मालखाना, मेस, महिला हेल्प डेस्क तथा थाने में साफ-सफाई आदि का निरीक्षण/अवलोकन किया गया।

➡ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा थाना मुबारकपुर व जहानागंज के अधिकारियों/कर्मचारियों को अभिलेखों के अद्यतन रख-रखाव, आगन्तुकों/पीड़ितों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार, महिला एवं कमजोर वर्ग के व्यक्तियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण, लंबित विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण तथा कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

## प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 30.09.2025 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वार की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्ता को मा0 न्यायालय द्वारा एक अदद अवैध कट्टा व एक अद जिन्दा कारतूस रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डि किया गया।

थाना बिलरियागंजः अवैध असलहा रखने के 01 आरोपी अभियुक्ता को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 22.04.1999 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री शारदा प्रसाद तिवारी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्ता सुनीता पुत्री भरत गुप्ता निवासी घुटार थाना चान्हो जनपद राची, बिहार हालपत छिछोरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के कब्जे एक अदद अवैध कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना।

➡ अभियुक्ता के विरूद्ध थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0- 61/1999 धारा-25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 30.09.2025 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-11 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता सुनीता पुत्री भरत गुप्ता निवासी घुटार थाना चान्हो जनपद राची, बिहार हालपता छिछोरी थान बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रु0 के अर्थदण्ड दण्डित किया गया।

प्रेस नोट, दिनांक: 30 सितम्बर, 2025

➡ उपनिरीक्षक गोपनीय श्री संजीव पाण्डेय का पदोन्नति

➡ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा इनके कंधे पर स्टार लगाकर इनके उज्जवल भविष्य की कामना की गयी। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल उपस्थित रहे

➡ यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि कार्यालय अपर पुलिस अधीक्षक नगर, आजमगढ़ में कार्यरत उपनिरीक्षक (गोपनीय/स्टेनो) श्री संजीव पाण्डेय को उनकी कार्यकुशलता, निष्ठा एवं उत्कृष्ट सेवाओं के आधार पर निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर पदोन्नत किया गया है।

श्री संजीव पाण्डेय ने अपने दायित्वों का सदैव कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है एवं विभाग के प्रति समर्पित भाव से सेवा प्रदान की है। उनके इस प्रमोशन से विभाग को और अधिक सुदृढ़ता प्राप्त होगी।

पुलिस विभाग, आजमगढ़ परिवार की ओर से श्री पाण्डेय को हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ दी जाती हैं।

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 30.09.2025
थाना- रानी की सराय, जनपद आजमगढ़
कूटरचित दस्तावेज के आधार पर धोखाधड़ी करने वाली 01 अभियुक्ता गिरफ्तार
पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनाँक 10.07.2025 को आवेदक सन्तोष कुमार यादव पुत्र स्व0 नन्दलाल यादव ग्राम- चक सेठवल, थाना रानी की सराय, जनपद- आजमगढ़ के द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि विपक्षी के द्वारा के द्वारा फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी प्रा0 पत्र व आवेदक की मां का फर्जी हस्ताक्षर कर बयान जीरह मे फर्जी आईडी पेश किया गया है। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0असं0 213/2025 धारा 319(2),318(4),339,336(3) बीएनएस बनाम विद्यावती देवी उम्र करीब 45 वर्ष पुत्री स्व0 जहेस ग्राम-बलिया कल्याण, थाना मुबारकपुर, जनपद- आजमगढ़, हालमुकाम मुहल्ला- मड़या जयराम (निकट बवाली मोड. हनुमान मंदिर), थाना- कोतवाली, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी की विवरण-

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ द्वारा चलाये जा रहे अभियान से सम्बन्धित अपराध एव अपराधियो/वांछित की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग व श्रीमान क्षेत्राधाकरी नगर महोदय के नेतृत्व उ0नि0 संतोष कुमार यादव मय हमराह मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता विद्यावती देवी उम्र करीब 45 वर्ष पुत्री स्व0 जहेस ग्राम-बलिया कल्याण, थाना मुबारकपुर, जनपद- आजमगढ़, हालमुकाम मुहल्ला- मड़या जयराम (निकट बवाली मोड. हनुमान मंदिर), थाना- कोतवाली, जनपद आजमगढ़ को तहसील परिसर सदर आजमगढ़ से समय करीब 15.50 बजे गिरफ्तार किया गया । अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 213/2025 धारा 319(2),318(4),339,336(3) बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

01. विद्यावती देवी उम्र करीब 45 वर्ष पुत्री स्व0 जहेस ग्राम-बलिया कल्याण, थाना मुबारकपुर, जनपद- आजमगढ़, हालमुकाम मुहल्ला- मड़या जयराम (निकट बवाली मोड. हनुमान मंदिर), थाना- कोतवाली, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

(1) उ0नि0 संतोष कुमार यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
(2) का0 आलोक यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
(3)म0आ0 सुनैना वर्मा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़